

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: सुमित्रा पारीक, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 06 / 2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिराम जाति सैनी निवासी तामड ढाणी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा ।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: अधिवक्ता गैर सायल श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित ।

—: निर्णय :—

दिनांक:—20.03.2024

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना मानपुर जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिराम जाति सैनी निवासी तामड ढाणी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र.स.	पुलिस थाना	मुकदमा नम्बर	कायमी दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	फैसला
1.	मानपुर	118 / 2022	22.04.2022	13 RPGO	75 / 2022	26.04.2022	सजा 100 रुपये अर्धदण्ड दिनांक 30.04.2022
2.	मानपुर	56 / 2023	27.02.2023	13 RPGO	35 / 2023	04.03.2023	सजा 100 रुपये अर्धदण्ड दिनांक 13.03.2023

उक्त शख्स ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिराम जाति सैनी निवासी तामड ढाणी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा जुआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरुद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते हैं। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियन्त्रण करने व समाज में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यह इस्तगासा प्रस्तुत कर उक्त गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही कराने का निवेदन किया गया है।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र जांगिड उपस्थित आये एवं गैर सायल की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरुद्ध थाना मानपुर में जुआ सट्टे के अपराध से सम्बन्धित 4 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिसमें गैर सायल को सजा भी हो चुकी है। न्यायालय से गैर सायल को पाबन्द करवाये जाने के बाद भी गैर सायल जुआ सट्टे के अपराध में लिप्त है। गैर सायल की आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है। जिससे समाज में अशान्ति व भय उत्पन्न हो गया। गैर सायल जुर्म करने का अभ्यस्थ हो गया है। गैर सायल का रहना समाज के लिये संकटमय हो गया है। अतः गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिराम जाति सैनी निवासी तामड ढाणी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण एक्ट 1975 के अन्तर्गत धारा 3 के तहत जनहित में दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाना आवश्यक है। ताकि उक्त शख्स की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सके।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

अधिवक्ता गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थी अत्यन्त गरीब है तथा फैंसी आइटम की दुकान करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी किसी गैंग का लीडर नहीं है। गैर सायल के विरुद्ध लगाये गये आरोप कतई असत्य व बेबुनियाद दर्ज किये गये हैं। प्रार्थी के विरुद्ध अब तक ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जो गुण्डा एक्ट की परिधि में आता हो। प्रार्थी के विरुद्ध जो प्रकरण बताये गये हैं उनका निर्णय हो चुका है। प्रार्थी के विरुद्ध अन्य कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी शान्तिपूर्वक रहकर अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अतः प्रार्थी के विरुद्ध गुण्डा एक्ट की कार्यवाही निरस्त किये जाने का श्रम करें।

बहस लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता गैर सायल पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल के विरुद्ध पूर्व में धारा 13 आरपीजीओ के दर्ज है जिसमें गैर सायल को सजा से दण्डित भी किया जा चुका है। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिराम जाति सैनी निवासी तामड ढाणी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा जुआ खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआ खेलने के लिये प्रेरित करने के कारण आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने से उक्त अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के मध्यनजर जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आमजन को जुआ-सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री हरिराम जाति सैनी निवासी तामड ढाणी मानपुर थाना मानपुर जिला दौसा को दिनांक 21.03.2024 से 45 दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल बसवा के रास्ते होते हुये थाना राजगढ जिला अलवर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र राजगढ जिला अलवर में निवास करते हुए प्रत्येक बुधवार को थानाधिकारी थाना राजगढ जिला अलवर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं अलवर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट लेख भण्डार की जावे।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

यह निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(सुमित्रा पारीक)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा